प्रेस नोट दिनांक- 22.08.2025

थाना बबुरी जनपद चन्दौली

- **बबुरी पुलिस द्वारा 15000 रू0 /- का इनामिया एक अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.08.2025 को आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा चलाये जा रहे वांछित / वारण्टियों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व कृष्ण मुरारी शर्मा ,क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी सूर्यप्रकाश मिश्रा मय बबुरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 21/25 धारा 105 बी0एन0एस से सम्बन्धित वांछित 15000 रू0 /- का इनामिया अभियुक्त संजय कुमार पुत्र स्व0 सुमेर प्रसाद निवासी ग्राम खरगीपुर थाना अलीनगर चन्दौली उम्र-40 वर्ष को ग्राम खुरूहुजा थाना बबुरी जनपद चन्दौली के पक्का नारा ओपेन जिम के पास से समय 09.55 बजे गिरफ्तार किया गया, नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त

संजय कुमार पुत्र स्व0 सुमेर प्रसाद निवासी ग्राम खरगीपुर थाना अलीनगर चन्दौली उम्र-40 वर्ष

अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 21/25 धारा 105 बी0एन0एस थाना बबुरी जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1.श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी जनपद चन्दौली
2.नि0 विभुतिनरायण राय थाना बबुरी जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 अजय कुमार यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली
4.का0 अशोक यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली
5.का0 विशाल गिरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली।

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

🔰 अलीनगर पुलिस द्वारा 01 पिकअप वाहन से 06 राशि गौवंश बरामद , 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन एवम् कृष्ण मुरारी शर्मा पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 22.08.2025 को समय करीब 00.25 बजे पचफेड़वाँ रिंग रोड से गाड़ियो को रोक रोककर चेकिंग की जा रही थी कि सामने से आ रही पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया जाने लगा कि अचानक से पिकअप वाहन चालक ने जान से मारने की नियत से पिकअप वाहन पुलिस बल के ऊपर चढाने का प्रयास किया कि पुलिस बल अपने आप को बचाते हुये पिकअप वाहन को रोक लिया गया कि चालक की बायी सीट पर बैठा व्यक्ति वाहन से कूदकर रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा परन्तु पिकअप चला रहे व्यक्ति को वाहन के अन्दर ही मौके पर पकड लिया गया , पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम विक्की पाण्डेय पुत्र हरिहर पाण्डेय निवासीग्राम देवाइतपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 28 वर्ष बताया । वाहन टाटा इन्ट्रा V.30 पिकअप, वाहन स0-UP67AT9405 को चेक किया गया 06 राशि गाय जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा गया था बरामद किया गया । वाहन पर बैठ को कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 373/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 109 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत अग्रीम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

विवरण पूछताछ– गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद गौवंशो के सम्बन्ध में पूछा गया तो बता रहा है कि साहब वाहन मे हम लोगो ने गाय लादा है । जिन्हे हमने व रामकेवल उर्फ तुफानी यादव उपरोक्त ने जाल्हूपुर के पास से एक बगीचे से गाडी मे लादा था तथा लेकर बिहार के रस्ते पश्चिम बंगाल जा रहे थे, वहाँ यह अच्छे दामो पर बिक जाते है, जिसका पैसा हम लोग आपस मे बाँट लेते है।

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक -22.08.2025

समय - 00.25 बजे

स्थान – पचफेड़वा रिंग रोड थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

<u>विवरण बरामदगी-</u>

1. एक अदद वाहन टाटा इन्ट्रा V.30 पिकअप, वाहन स0-UP67AT9405
2. 06 राशि गाय जिन्दा अवस्था में बरामद

<u>गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 अनिल कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 श्री सभाजीत यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
4. हे0का0 रामाश्रय प्रसाद थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
5. हे0का0 पन्नालाल यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
6. का0 दीपक पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

ऑपरेशन कन्विक्शन

🔷 **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

🔷 **माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुवँर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि0)/जेएम चकिया) द्वारा 01 अभियोग में दोषी 04 अभियुक्तो को 3 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 16000-16000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07-07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

जनपद चन्दौली थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 16.01.2000 को धारा 323,504,506,452 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त हातुल पुत्र जुमराती उर्फ गुड्डू 2.मुस्ताक पुत्र लल्ला 3.बच्ची पुत्र जुमराती उर्फ गुड्डू 4. शौकत अली पुत्र सहादुर थाना चकिया बाजार वार्ड नं0 10 थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-07/2000 धारा 323,504,506,452 भादवि थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।।

मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी व अभियोजक श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक–22.08.2025 को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुवँर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि0)/जेएम चकिया) द्वारा अभियुक्त 1.हातुल पुत्र जुमराती उर्फ गुड्डू 2.मुस्ताक पुत्र लल्ला 3.बच्ची पुत्र जुमराती उर्फ गुड्डू 4. शौकत अली पुत्र सहादुर थाना चकिया बाजार वार्ड नं0 10 थाना चकिया जनपद चन्दौली को 3 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 16000-16000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07-07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

चन्दौली पुलिस- ऑपरेशन कन्विक्शन

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

अभियोजन से अपराध पर कसी नकेल- जनपदीय चिन्हित माफिया को दिलाई गई 2 वर्ष 6 माह की सजा।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सदर के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में 2023 में पंजीकृत आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियोग में अभ्यस्त गोतस्कर अभियुक्त दिलायी गयी सजा

अवैध शस्त्र की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त को 2 वर्ष 6 माह की सजा व 5000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-दिनांक 13.12.2023 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राकेश जायसवाल पुत्र मारकण्डेय जायसवाल निवासी खरौझा थाना इलिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 144/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया में पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे जनपद चन्दौली के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सदर के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु चलाए ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में चन्दौली पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी व अभियोजक श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना इलिया के पैरोकार का0 जगन्नाथ सोनकर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक–22.08.2025 को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुवँर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि0)/जेएम चकिया) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.राकेश जायसवाल पुत्र मारकण्डेय जायसवाल निवासी खरौझा थाना इलिया जनपद चन्दौली को 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।